

YAN VIEAG

MISCELLANEOUS

FEBRUARY 10, 1960

Not 115/XIV-331-50 - Whereas the Governor, Uttar Pradesh is of the opinion that the making of enquiry and record contemplated under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by sub-section (1) of the said section, read with section 50-A of the aforesaid Act, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to declare that pending such enquiry and record the provisions of Chapter IV of the said Act to be applicable to the land specified in the schedule hereto.

SCHEDULE

District	S. No.	Name of road	Mileage to be declared as reserved or protected forest		Description of boundary	
			M. Fg. Ft.	M. Fg. Ft.		
1	2	3	4	5	6	7
1. Meerut	1	Meerut-Baghpat road	3 0 0	51 2 0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars.	
	2	Baghpat-Saharanpur	1 0 0	24 2 0		
	3	Baghpat-Chhaprauli	1 0 0	9 0 0		
	4	Baghpat-Loni Shadra	0 0 0	17 2 25		
	5	Meerut-Newana	2 0 0	17 0 0		
	6	Meerut-Bulandshahr	2 0 0	129 0 0		
	7	D. R. M. Road	41 0 0	55 0 0		
	8	G. T. Road	870 0 0	873 0 0		
	9	Begamabad-Basatikri	1 0 0	6 0 0		
	10	Morednagar Railway Feeder	0 0 0	0 2 10		
	11	Morednagar Railway Feeder	0 0 0	0 0 6		
	12	Mohiddanpur Railway Feeder	0 0 0	0 4 10		
	13	Meerut-Sardhana Road	2 0 426	12 3 320		
	14	Daurala-Sardhana	0 0 0	6 4 250		
	15	Bulandshahr-Siana Gash Road	24 0 0	31 1 to 200		
	16	Meerut-Bareilly	23 9 0	31 3 200		
	17	National Highway Rt. No. 34	28 6 0	28 8 0		
	18	G. T. Road (Ghaziabad to border)	874 0 548	879 2 70		
				3 251		
	19	Ghaziabad-HaPur Road	1 0 0	21 6 249		
				21 6 330		
	20	HaPur-Gash Road	1 0 484	19 4 70		

प्रति हस्ताक्षरित

प्रति हस्ताक्षरित

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा



Noti.
waste lands
of the State of
Uttar Pradesh
are hereby
declared
to be
waste lands
of the State
of Uttar Pradesh
and the provisions
of Chapter V
and section 68
of the said Act
to be applicable
to them.

1. Published in U. P. Gazette, Part I, dated 17th February, 1979, pp. 445-447.

In exercise of the powers under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to declare the strips of Government forest or waste lands whether under tree growth or not on either side of Railways in the State of Uttar Pradesh, described in the following Schedule to be protected forests and the provisions of Chapter V and section 68 of the said Act to be applicable to them :

Noti. No. 8109/XIV-2-503-77, dated January 25, 1979.

- (4)
- Alakabad Division**
1. Haibras-Haibras Kila.
 2. Shikohabad-Farrukhabad.
 3. Barman-Bian.
 4. Chunar-Chopan.
 5. Tundla-Yamuna Bridge.
- Lucknow Division**
1. Rae Bareilly-Unchahar-Phaphamau.
 2. Phaphamau-Alakabad.
 3. Phaphamau-Janghal-Zafarabad.
 4. Zafarabad-Akbarpur.
 5. Akbarpur-Tanda.
 6. Faizabad-Akbarpur.
 7. Unai-Bia-Faizabad.
 8. Kanpur Central-Unao-Lucknow.
- Moradabad Division**
1. Rajwala-Rahikesh.
 2. Najibabad-Koldwar.
 3. Muazampur Narain-Gajroula.
 4. Khurja-Hapur-Meerut.
 5. Raja-Ka-Sahaspur-Sambhal-Hallim.
 6. Ram Ganga-Chaneshi.
 7. Rosa-Shayy Cantt.
 8. Shapur-Jalamau-Unao.
 9. Lucknow-Dehra Dun.
 10. Aligarh-Chandauli-Bareilly.
 11. Moradabad-Chandauli.

NOTIFICATIONS

Noti.]

महोदय
(महोदय)
महोदय
महोदय

महोदय

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
आगरा।

संचालन,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ०प्र० एकराप्रवेशक इन्फ्रस्ट्रक्चर
डेवेलपमेन्ट अथोरिटी (यूपीडी),
सी 13 द्वितीय तल, मर्यदम भवन, विभिन्न खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या: 1501/डीएलआरसी०/अग्रहारी

दिनांक 13 जून, 2015

विषय:

आगरा से लखनऊ प्रदेश नियंत्रित एकराप्रवेश (पीनफील्ड) परियोजना से प्रभावित वन
क्षेत्र के सम्पत्तय वन भूमि उपलब्ध करायें जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-489/यूपीडी-15/192(01), दिनांक 29.05.2015 का सम्बन्ध ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद की तहसील फतेहाबाद के ग्राम नगला भावई के गाटा सं०-2/1क रकबा 48.00है० गांवसभा भूमि को आरक्षित वन १६ पक्ष में स्थानान्तरित करायें जाने हेतु पुनर्ग्रहण प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अज्ञात कराना है कि दिनांक 21.7.2014 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से आगरा से लखनऊ प्रदेश नियंत्रित एकराप्रवेश (पीनफील्ड) के अन्तर्गत ग्राम लुहारी आरक्षित वन ब्लॉक की पट्टने वाली आरक्षित वन भूमि का सर्वेक्षण व सीमांकन किया गया जिसके अनुसार जनपद आगरा में 8850है० भूमि उक्त परियोजना के अन्तर्गत वन ब्लॉक की मार्ग में आ रही है।

उपजिलाधिकारी, फतेहाबाद ने अपने पत्र संख्या 828/र का दिनांक 11.05.2015 द्वारा अदगत कराया है कि भूमि प्रबन्धक समिति, नगला भावई तहसील फतेहाबाद द्वारा नगला भावई की भूमि गाटा सं०-2/1 में से रकबा 30.00है० भूमि वन विभाग को दिये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक 11.08.2015 पारित किया है। गाटा सं०-2/1मि० के रकबा 47.962है० भूमि में ग्राम नगला भावई व बिलेदा की पुरानी आबादी, प्राईमरी पाठशाला स्कूल, जूनियर हाईस्कूल एवं सराई बने हैं, जिसमें 17.962है० भूमि उपयोग में आ रही है। सन्दर्भित भूमि राजस्व अभिलेखों में बेटा (अनारक्षित क्षेत्र) की भूमि है। सन्दर्भित पुनर्ग्रहण किये जाने वाली भूमि रकबा 30.00है० का बाजार मूल्य 3.00 करोड़ तथा मालगुजारी का 150मुगा धनराशि मु० 84,915.00 इस प्रकार कुल धनराशि 3,60,94,915.00 (रु० तीन करोड़ साठ लाख चौरासी हजार नौ सौ पन्द्रह) होती है।

उल्लेखनीय है कि उक्त के अतिरिक्त अटोहस्ताधारी के पत्र सं०-1539/डीएल आरसी दिनांक 02.08.2015 द्वारा जनपद की तहसील फतेहाबाद के ग्राम लुहारी की ग्रामसभा भूमि कुल गाटे आठ रकबा 8,850है० बेटा एवं रंजर भूमि (अनारक्षित क्षेत्र) मूल्य 88,54,465.00 (रु० अठ्ठासठ लाख चत्तरावन हजार चार सौ पैंसठ मात्र) का प्रस्ताव संलग्नकों सहित पूर्व में भेजा जा चुका है।

अतः आगरा से लखनऊ प्रदेश नियंत्रित एकराप्रवेश (पीनफील्ड) परियोजना के अन्तर्गत जनपद आगरा स्थानान्तरित जाने वाली वन भूमि रकबा 8,850है० भूमि के सम्पत्तय जनपद की तहसील फतेहाबाद के ग्राम लुहारी की भूमि रकबा 8,850है० के अतिरिक्त ग्राम नगला भावई की ग्रामसभा भूमि रकबा 30.00है० का विन्हाकन कर भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 11.08.2015 एवं अन्य अभिलेख तत्पुनः संलग्न कर भेजित किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

नमस्ते,

(पंकज कुमार)
जिलाधिकारी,
आगरा।संख्या व दिनांक उपरोक्त:-
प्रतिरिधि:-

- मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन लखनऊ को उनके पत्र सं०-191/यूपीडी-15/448(01), दिनांक 29.05.2015 के क्रम में सूचनाई प्रेषित।
- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को सूचनाई प्रेषित।

(पंकज कुमार)
जिलाधिकारी,
आगरा।

प्रति हस्ताक्षरित

(मनीष मिस्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

प्रति हस्ताक्षरित

(मनीष मिस्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा